फर्द अहकाम

[illegible] बनाम सरकार वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

संख्या 185/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या अहकाम	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली मालिक आपत्ति प्रा.पत्र व प्रा.पत्र धारा 131, 136 के तहत विचाराधीन है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रा.पत्र, आपत्ति प्रा.पत्र एवं मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभयपक्षों की बहस को सुना किया गया। वकील उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रा.पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज ओपन कोर्ट में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(72)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
185/2022	09/11/2022	24/06/2024

1. सलीम खॉ पुत्र अलावक्स आयु 61 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान ।
2. सत्तार खॉ पुत्र भोरे खॉ
3. हसल खॉ पुत्र खाजू खॉ
4. फकरूद्दीन खॉ पुत्र वावू खॉ
5. मोबीन खॉ पुत्र वावू खॉ
6. शरीफन पत्नि वावू खॉ

समस्त जातियान मुसलमान समस्त निवासीयान ग्राम ताला तहसील जवमारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

सुवा खॉ पुत्र घासी खॉ जाति मुसलमान निवासी बडी गुवाडी, चान्दावास तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा – वकील प्रार्थी।
श्री रमेश कुमार जाजोरिया:– वकील अप्रार्थी सं0 3

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा, रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की शामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 426 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.8400है0, ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए अप्रार्थी सं0 2 लगायत 7 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 425 स्थित है। हाल किये गये नवीन सेटलमेंट में प्रार्थी की भूमि साविका खसरा नम्बर 323 के नवीन खसरा नम्बर 426, 427 बनाये गये है एवं अप्रार्थी सं0 2 लगायत 7 की खातेदारी भूमि का साविका खसरा नम्बर 322 के नवीन खसरा नम्बर 425 बनाये गये है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 323 से नवीन खसरा नम्बर 426, 427 पर पूर्व नक्शा अनुसार काविज काश्त है। प्रार्थी की उक्त भूमि से लगते अप्रार्थी सं0 2 लगायत 7 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 425 का राजस्व नक्शें में उत्तर पूर्व की ओर रकबा कम कर अंकित कर दिया है। प्रार्थी के नवीन खसरा नम्बर 426, 427 को नवीन नक्शें में वास्तविकता से परे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से रकबा कम कर राजस्व नक्शें में खिसका कर अंकित कर दर्शाया है। नक्शें में हाल सैटलमेंट में खसरा नम्बर 425 के नक्शा तरमीम को मौके पर कब्जे व पूर्व नक्शें के अनुसा नही कर अप्रार्थी सं 0 2 लगायत 7 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 425 का रकबा बढाकर खिसका कर अवैध रूप से अंकित कर दिया गया है जो मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नही है। खसरा नम्बर 426, 427 की दुरूस्ती कर नवीन खसरा नम्बरान की

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

भूमि दुरूस्त नक्शा पूर्व नक्शा अनुसार कायम किया जाना आवश्यक है। अतः ग्राम ताला के गत खसरा नम्बर 323 के नवीन खसरा नम्बर 426, 427 का पूर्वानुसार अंकन करते हुए पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त अनुसार गत नक्शें के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नक्शा कायम किया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2, 4 ता 7 अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः दिनांक 18.06.2024 को अप्रार्थी सं0 2, 4 ता 7 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 3 की ओर से एड0 श्री रमेश कुमार जाजोरिया ने वकालतनामा पेश कर दिनांक 18.06.24 को आपत्ति प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज सूची पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में उक्त न्यायालय में एक नक्शा दुरूस्ती का प्रार्थना प्त्र सं0 29/2018 उनवान सलीम खॉ बनाम सरकार का समान विषय वस्तु का ही पेश किया गया था। जिसमें दिनांक 15.06.2018 को निर्णय होकर खारिज किया जा चुका है। लेकिन उक्त तथ्यों को छिपाकर मिथ्या तथ्यों के आधार विधि विरूद्व प्रार्थना पेश किया है जो खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का ताला से जो रिपोर्ट बनवाई है वह पटवारी हल्का ताला से मिलीभगत कर बिना जॉच पडताल किये ही व बिना नक्शों को मिलान किये ही कार्यालय बैठकर बनवाई है ताकि प्रार्थी को नाजायज लाभ पहुचाया जा सकें एवं मुझ अप्रार्थी को नुकसान पहुचा कर कब्जा कर सकें। जबकि वास्तविकता यह कि सिाबिक खसरा नम्बर 322 व इसके हाल खसरा नम्बर 426, 427 के नक्शें में कोई अन्तर नही है। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं0 1 (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने अपने पत्र कमांक/एल.आर../2024/2971 दिनांक 12.06.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम ताला के आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 0.01है0 खसरा नम्बर 427 रकबा 0.84है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.85है0 खातेदार छोटी पु अलाबक्स वगै0 सा0 खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 426, 427 के साबिक खसरा नम्बर 323 है। वर्तमान खसरा नम्बर 427 के नक्शें को पूर्व नक्शा एकीकरण संवत् 2020 से मिलान करने पर वर्तमान नक्शें में अन्तर पाया गया हैं एकीकरण संवत् 2020 नक्शें तरमीम से वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 427 वर्तमान नक्शा की आकृति कर कर तरमीम की गई है। हाल खसरा नम्बर 427 का गत खसरा नम्बर 232 एकीकरण नक्शें का मिलान करने पर पश्चिम दिशा में आराजी खसरा नम्बर 410 अन्तर पाया गया है। जिसको वर्तमान नक्शें में लालस्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण खातेदार वर्तमान मौके पर पूर्व नक्शा एकीकनरण संवत् 2020 के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। गत खसरा नम्बर 410 एकीकरण नक्शें अनुसार वर्तमान नक्शें मं प्रस्तावित रकबा लाल स्याही अनुसार दुरस्त किया जाना उचित है।

वकील उभय पक्षों की बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 पर सुनी गई। वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वकील अप्रार्थी सं0 3 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम ताला, पटवार मण्डल ताला, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 426, 427 को वर्तमान राजस्व नक्शें की रकबा बरारी करते हुये एकीकरण संवत् 2020 नक्शें अनुसार तरमीम दुरूरस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ